<u>वित्तीय स्वीकृति</u>
<u>संख्या-02/19/82 /52-3-19-बजट(11)/16</u>

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5002/अ0स0क0नि0-983/पूर्वदशम छात्रवृत्ति/ 2018-19, दिनांक 03.01.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 14867.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 7433.50 लाख (रू0 चैहत्तर करोड़ तैतिस लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के आधार सीडिंग के उपरान्त कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह 31.03.2019 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो उनमे छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय≤ पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- छात्रवृत्ति वितरण हेतु डाटा अग्रसारित करते समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में डुप्लीकेसी ना हो और एक छात्र/छात्रा को किसी भी दशा में दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण- 0303- अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति- 21-छात्रवृत्तियाॅ और छात्रवेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस - 2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या- 82 (1)/52-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।